डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 अप्रैल 2002—चैत्र 11, शक 1924

राजस्व, राहत, पुनर्वास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-3/राजस्व/2002.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधारा (2) की कंडिका (इकसठ) सहपठित धारा 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, धारा 240 (1) के अधीन निर्मित नियमों में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

नियम

1. छत्तीसगढ़ शासन भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240 (1) के अधीन बनाए गए नियम 2 के उपनियम (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्—

(चार) ऐसे फलदार वृक्ष जो न फलने वाला हो, सूख गया हो.

(पांच) फल प्रजाति से भिन्न प्रजाति के ऐसे वृक्ष विदोहन योग्य गोलाई के हो. (ऐसी विदोहन योग्य गोलाई संबंधित वन मण्डल द्वारा नियत की गई गोलाई मानी जायेगी.)

(छः) ऐसे वृक्ष जिनका काटा जाना छोटे पौधों/पेड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक हो.

(सात) ऐसे वृक्ष जिनका जनहित में काटा जाना आवश्यक हो गया हो.

2. अधिनियम की धारा 240 (1) के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 3 में निम्नलिखित प्रजातियां अन्त: स्थापित की जाए, अर्थात्—

(आठ) नीम (एजडीरेक्टा इंडिका)

(नौ) कदंब (एथोसेफलस कदंबा)

3. उक्त संहिता की धारा 240 (1) के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किए जाएं, अर्थात्—

(7) ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति गठित की जायगी, जिसमें सरपंच, भूतपूर्व सरपंच, वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित वन समिति के अध्यक्ष, पटवारी एवं बीट गार्ड सम्मिलित होंगे. इसी तरह राजस्व उपसंभाग स्तर पर उपसंभाग अधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी, संबंधित विकास खण्ड के जनपद अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति का गठन किया जायेगा. उपसंभाग अधिकारी (सिविल) समिति के संयोजक होंगे.

(8) सक्षम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय समिति द्वारा नियमों के आधार पर की गई अनुशंसा के आधार पर वृक्ष कटाई की अनुमति दी जायेगी.

(9) राजस्व उपसंभाग स्तरीय समिति को पंचायत स्तरीय समिति के कार्य-कलापों की समीक्षा तथा शिकायतों की जांच के अधिकार होंगे.

(10) वृक्षों की कटाई की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक की भूमि स्वामी द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाए अथवा भूमि स्वामी द्वारा रुपये 150/- प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए. यह राशि पंचायत में "रोपण निधि" के अंतर्गत रखी जाएगी. यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह सिफारिश करती है कि भूमि स्वामी ने अपेक्षित संख्या में वृक्षों का रोपण किया, उसकी देखभाल की है और पौधा सुरक्षित है, तो उक्त राशि वृक्षारोपण की तारीख से तीन मास पश्चात् वापस कर दी जायेगी अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस राशि का वृक्षरोपण में उपयोग किया जाएगा. गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूमि स्वामियों से राशि की वसूली नहीं की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ 7-3/राजस्व/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-3/राजस्व/2002, दिनांक 1-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अवर सचिव.

Raipur, the 1st April 2002

NOTIFICATION

No. F-7-3/Revenue/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (1-xi) of Sub-section (2) of Section 258 read with Section 240 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 the State Government hereby makes the following amendments in the existing rules :—

Rules

1. After sub-rule (iii) of Rule 2, framed under Section 240 (1) of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959. the following rule shall be inserted, namely :—

(Fourth) Fruit bearing trees, which have become sterile, dried tree.

(Fifth) Other fruit bearing species, which have attained the exploitable girth (girth fixed by the concerned forest division can be considered as exploitable girth).

(Sixth) Trees, which are required to be cut for the growth of other plant/tree.

(Seventh) Trees, which are required to be cut in public interest.

2. After rule 3, framed under Section 240 (1) of said code, the following entries shall be inserted namely :—

(Eighth) Neem

(Ninth) Kadamb

3. After rule 6, framed under Section 240 (1) of the said code, following new rules shall be inserted namely :—

(7) Gram Panchayat Level Committee shall be constituted consisting of Sarpanch, Ex-sarpanch. Chairman of the forest management committee, Patwari and Beat Guard. Likewise sub-divisional level committee shall be constituted consisting of Sub-divisional Officer (Civil), Sub-divisional Officer (Forest). Janapad Chairman and Ex-Janapad Chairman of the concerned Janapad Panchayat. Sub-divisional Officer (Civil) will be the convenor of the committee.

(8) Permission to cut the trees will be granted by the competent authority on the recommendation of the Gram Panchayat Level Committee made as per rules.

(9) Sub-divisional Level Committee will have powers to supervise activities of Gram Panchayat Level Committees and enquire into the complaints.

(10) No permission to cut the tree shall be granted unless the bhumiswami plants double the number of trees in his own land or has deposited the amount @ rupees 150/- per tree in the concerning Panchayat which will be kept in Panchayat as "Plantation Fund". If the Gram Panchayat Level Committee recommends that the bhumiswami has planted trees in the required number, looked after it and the plants have surviving, the above amount can be refundable after three months from the date of plantation, otherwise the amount will be utilized for plantation by the Gram Panchayat. No amount will be recovered from the Bhumiswamis belonging to Below Poverty Line-families.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
H. U. KHAN, Under Secretary.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-3/राजस्व/2002.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241 की उपधारा (2), (3) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) की कंडिका (बासठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नियमों में निम्नलिखित संशोधन

करती है—

नियम

1. नियम 3 के उपनियम (1) के, जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241 की उपधारा (2), (3) के अधीन बनाए गए हैं, स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्—

"ऐसे आवेदन प्राप्त होने से कलेक्टर आवेदन-पत्र की एक प्रति वन सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं एवं इमारती लकड़ी के वृक्षों की कटाई के संबंध में मत के लिए डिवीजनल फारेस्ट आफिसर को भेजेगा. डिवीजनल फारेस्ट आफिसर वृक्षों की विदोहन योग्य. गोलाई, अच्छे पौधों/पेड़ों की वृद्धि के लिए इमारती लकड़ी के वृक्ष के काटने का औचित्य एवं उन वृक्षों की हालत को देखते हुए वृक्षों की कटाई पर अपना मत कलेक्टर को 30 दिन के भीतर भेजेगा. कलेक्टर आवेदन-पत्र की दूसरी प्रति धारा 240 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के नियम (7) के अधीन गठित पंचायत स्तरीय समिति को उसके मत हेतु भेजेगा, जो वृक्षों के स्वामित्व एवं कटाई के संबंध में अपनी अनुशंसा कलेक्टर को 30 दिनों के भीतर भेजेगी. कलेक्टर उपरोक्त मत एवं अनुशंसा पर विचार करने के तत्पश्चात् यह विनिश्चत करेगा कि उक्त इमारती लकड़ी के वृक्षों में, जिनके काटने हेतु आवेदन दिया गया है, कौन से जनहित एवं वन वर्द्धनिक दृष्टि से रोका जाना है तथा कौन सी भूमि कटान रोकने हेतु अपेक्षित है".

2. नियम 10 के उपनियम (1) के जो उक्त संहिता की उक्त धारा के अधीन बनाई गई है, स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्—

"10 (1) कोई भी इमारती लकड़ी का नग ठूठों के स्थान से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस पर हथौड़े का चिन्ह नहीं लगाया गया हो तथा आवेदक ने छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के प्रावधान अनुसार परिवहन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो ".

3. नियम 10 के उपनियम (3) के, जो उपरोक्त संहिता के उक्त धारा के अधीन बनाए गए हैं, के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किये जाए, अर्थात्—

(4) वृक्षों की कटाई की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक की भूमि स्वामी द्वारा काटे जाने वाले इमारती लकड़ी के वृक्षों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाए अथवा भूमि स्वामी द्वारा रुपये.150/- प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए. यह राशि पंचायत में "रोपण निधि" के अंतर्गत रखी जाएगी. यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह सिफारिश करती है कि भूमि स्वामी ने अपेक्षित संख्या में वृक्षों का रोपण किया, उसकी देखभाल की है और पौधा सुरक्षित है, तो उक्त राशि वृक्षारोपण की तारीख से तीन मास पश्चात् वापस कर दी जायेगी अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस राशि का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा. गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूमि स्वामियों से राशि की वसूली नहीं की जाएगी.

(5) राजस्व भूमि पर खड़े इमारती लकड़ी के वृक्षों की सुरक्षा के लिए सरपंच, पटवारी एवं कोटवार उत्तरदायी होंगे. पटवारी राजस्व भूमि पर खड़े इमारती लकड़ी के वृक्षों को अवैध रूप से गिराए जाने या हटाए जाने की मासिक विवरणी तैयार करेगा. तहसीलदार विवरणी का सत्यापन करेगा तथा उसे कलेक्टर को भेजेगा और वह अवैध रूप से इमारती लकड़ी के वृक्षों को गिराए जाने या हटाए जाने को रोकने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएगा.

(6) ऐसे राजस्व क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में इमारती लकड़ी के वृक्ष खड़े हैं और यदि वह क्षेत्र वन सीमा से लगा हो तो उसे संरक्षित वन अथवा पंचायत वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और तदानुसार वन विभाग या पंचायत को सौंपा जावेगा तथा उसका प्रबंधन संयुक्त वन प्रबंधन समिति अथवा पंचायत वन समिति द्वारा किया जाएगा.

4. इन नियमों में, जो उक्त संहिता की धारा 241 की उपधारा (2), (3) के अधीन बनाए गए हैं शब्द "उप-खण्ड अधिकारी" जहां कहीं भी वह आया हो शब्द "कलेक्टर" स्थापित किया जाए,

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ 7-3/राजस्व/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-3/राजस्व/2002, दिनांक 1-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अवर सचिव.

Raipur, the 1st April 2002

NOTIFICATION

No. F-7-3/Revenue/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (1-xii) of Sub-section (2) of Section 258 read with Section 241 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, the State Government hereby makes the following amendments in the existing rules.—

Rules

1. For sub-rule (1) of rule 3, which has been framed under Sub section (2) and (3) of Section 241 of the Chhattisgarh Land Revenue, Code, 1959, the following rule shall be substituted, namely :—

"On receipt of the application the Collector shall immediately forward the application to the Divisional Forest Officer for opinion with respect to factors concerning the protection of forest and cutting of timber trees. The Divisional Forest Officer shall send his opinion with in thirty days from the date of receipt of the application to the Collector keeping in view the girth of trees, condition, growth and justification in regard to cutting of timber trees applied for. The Collector shall send second copy of the application to the Panchayat Level Committee constituted under rule 7 of the rules framed under Section 240 (i) of the code for its opinion regarding ownership and cutting of the trees, which will send its recommendation within 30 days. After considering the opinion and recommendation. the collector shall take decision on the application of cutting of timber trees applied for taking in to account the public interest and trees required to be retained for further development and growth of the forest as well as prevention of soil erosion".

2. For sub-rule (1) of rule 10, which has been framed under said section of said code, the following rule shall be substituted, namely :—

"10 (1)No timber piece shall be removed from the stump site unless it is duly hammer-marked and the applicant obtains transit pass under the provisions of Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001."

3. After sub-rule (3) of rule 10, which has been framed under said section of aforesaid Code, the following sub-rules shall be inserted namely :—

(4) No permission to cut the timber tree shall be granted unless the bhumiswami plants double the number of trees in his own land or has deposited the amount @ rupees 150/- per tree in the concerning Panchaya which will be kept in Panchayat as "Plantation Fund". If the Gram Panchayat Level Committee recommends that the bhumiswami has planted trees in the required number, looked after it and the plants have surviving, the above amount can be refundable after three months from the date of plantation, otherwise the amount will be utilized for plantation by the Gram Panchayat. No amount will be recovered from the bhumiswamis belonging to Below Poverty Line-families.

(5) Sarpanch, Patwari and Kotwar shall be responsible for the safety of the timber trees standing of Revenue Land. Monthly Statement of illegal felling or removing of timber trees shall be prepared by Patwari and the

Tahsildar shall verify the statement and send it to the Collector and he will take all necessary steps to prevent illegal felling or removing of timber trees.

(6) Revenue areas where large number of timber trees are standing and adjacent to the forest boundaries shall be notified as Protected Forest or Panchayat Forest and shall be handed over accordingly to the concerned. viz Panchayat or Forest Department and the same will be managed by joint Forest Management Committee of Panchayat Forest Committee as the case may be.

4. In the rules, which has been framed under Sub-section (2), (3) of Section 241 of the said code, the words "Sub-Divisional Officer" it occurs the word "Collector" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. U. KHAN, Under Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.